संख्या-30 / 2018 / 697जे / 22-5-2018-108एचआरसी / 2014

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2018*

विषय:-जिला कारागार, बदायूँ की विचाराधीन महिला बंदी रामबेटी पत्नी श्री मोहर सिंह की दिनांक 19-04-2014 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-320जे / 22-5-2017-108एचआरसी / 2014, दिनांक 06-02-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अन्य के साथ निम्नलिखित निर्देश निर्गत किया गया है:-

मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों आदि की एक कमेटी बनायी जाय, जिसके द्वारा उनके मण्डल स्थित कारागारों में मासिक रूप से भ्रमण कर गम्भीर रोग से ग्रसित बन्दियों का उपचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कारागार अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-767 / 71-1-2018, दिनांक 06-03-2018 द्वारा प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26-02-2018 को आहूत बैठक के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि मेडिकल कालेज Teretiary care center के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मण्डल स्थित कारागारों में मासिक रूप से भ्रमण कर गम्भीर रोग ग्रसित बन्दियों का उपचार करना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में बेहतर होगा कि प्रदेश के सभी मण्डलों के कारागार में गम्भीर रोग से ग्रसित बन्दियों के उपचार एवं रेफरल हेतु निकटतम राजकीय मेडिकल कालेज से सम्बद्ध कर दिया जाय। प्रत्येक मेडिकल कालेज में एक कमेटी गठित कर दिया जाय, जिसमें प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज-अध्यक्ष, उस मेडिकल कालेज के प्रमुख अधीक्षक-सदस्य सचिव, जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-सदस्य व सम्बन्धित कारागार के जेल सुपरिंटेन्डेन्ट-सदस्य नामित किये जायें।

2.1 मेडिकल कालेज में सभी रेफर्ड कैदियों को नि:शुल्क उपचार / भर्ती की सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाये।

2.2 प्रदेश के मेडिकल कालेजों से सम्बद्धता निम्नवत प्रस्तावित है:-

2---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	मण्डल	मेडिकल कालेज
1	आगरा	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
2	अलीगढ़	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
3	इलाहाबाद	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
4	आजमगढ़	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
5	बरेली	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
6	बस्ती	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
7	चित्रकूटधाम	एम0एल0वी0 मेडिकल कालेज, झॉसी
8	फैजाबाद	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
9	देवीपाटन	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
10	गोरखपुर	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
11	झॉसी	एम0एल0वी0 मेडिकल कालेज, झॉसी
12	कानपुर	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
13	लखनऊ	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
14	मेरठ	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
15	मिर्जापुर	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
16	मुरादाबाद	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
17	सहारनपुर	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
18	वाराणसी	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

2.3 उक्त कमेटी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा बैठक कर समस्त मण्डलों के *विचाराधीन* बन्दियों को दिये गये चिकित्सा उपचार की समीक्षा करेगी और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा व कारागार मुख्यालय को प्रेषित करेगी।

2.4 विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के उक्त पत्र दिनांक 06-03-2018 द्वारा उक्तानुसार संशोधित शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि चिकित्सा शिक्षा विभाग से निर्देश जारी किये जा सके।

3- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-320जे/22-5-2017-108एचआरसी/2014, दिनांक 06-02-2017 के सम्बन्धित अंश जो कि प्रस्तर-1 में अवलोकनीय है, को समाप्त किया जाता है तथा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-767/71-1-2018, दिनांक 06-03-2018 के प्रस्तर—6 के प्रथम पंक्ति उल्लिखित 'विचाराधीन बंदियों' जिसका उल्लेख इस पत्र के प्रस्तर-2.3 के प्रथम पंक्ति अंकित है, में से 'विचाराधीन' शब्द हटाते हुए शेष प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,

3--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-30 /2018/697जे(1)/22-5-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव,

पृष्ठांकन संख्या-30 /2018/697जे(2)/22-5-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि उप निबन्धक (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लाक-सी, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0 नई दिल्ली-110023 को शासन के पत्र संख्या-320जे/22-5-2017-108एचआरसी/2014, दिनांक 06-02-2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव,

पृष्ठांकन संख्या-30/2018/697जे(3)/22-5-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- समस्त कारागार वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला/उप/आदर्श/नारी बंदी निकेतन/किशोर सदन, कारागार उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।